

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7-6/2005/1/6
प्रति,

रायपुर दिनांक 7/11/2005

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, रायपुर।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16.09.2005.

उपरोक्त विषय में सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 02, अगस्त, 2005 द्वारा प्रत्येक कार्यालय के मैनुअल तैयार कर उसकी फ्लापी/सी. डी. एक प्रति सहित दिनांक 31.08.2005 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, तथा संदर्भित पत्र में मैनुअल्स पी.डी.एफ. फारमेट में तैयार करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। अब तक संलग्न सूची में अंकित विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों से ही फ्लापी/सी.डी. प्राप्त हुई है, अन्य कार्यालयों की जानकारी अपेक्षित है।

2/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्रानुसार प्रत्येक विभाग, अपने विभाग तथा विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के मैनुअल तैयार कर उसकी फ्लापी/सी.डी. सीधे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराए, तथा उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक ^{यथाशीघ्र} ~~08.11.2005~~ तक भेजना सुनिश्चित करें।


(ए०के० विजयवर्गीय)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग